न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान गौरीशंकर बनाम जितेन्द्र वगै0

वाद संख्या–130/2018

रजू दिनांक 3.7.2018

निर्णय दिनांक 24.9.2018

1.गौरीशंकर शर्मा पुत्र श्री हरिवल्लभ शर्मा जाति ब्रा0 निवासी गुढाकटला तह0बसवा जिला दौसा ।

बनाम

1.जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गौरीशंकर ब्रा0 निवासी गुढाकटला तह0बसवा जिला दौसा ।

2.राज0 सरकार जर्ये तहसीलदासर बसवा

दावा खातेदारी धोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजहा मे प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है :–

1.यह कि ग्राम टाटया थैलावास पटवार हल्का गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा मे प्रार्थी के पिता श्री हरीवल्लभ शर्मा को वर्ष 1960 मे ख0न0 10/1 मे से भूमि का आवंटन हुआ था जिसका कब्जा भी सम्भला दिया गया था । भूमि उबड खाबड होने से प्रार्थी द्वारा काफी पैसा लगाकर बडी मेहनत से पाल डोल बनाकर मेड बन्दी कर काश्त योग्य बनाकर काश्त करना प्रारम्भ किया गया है। आवंटित भूमि सा0ख0न0 10/1ग्राम टाटया थैलावास को भू प्रबंध के [illegible] खसरा नम्बर 30ला. 32,53ला.56 ,58,59,65,66 व 75 [illegible] मृत्यु वर्ष 1973 मे होने के पश्चात भूमि पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। दौरान [illegible] ख0न0 32 रकबा 0.53 है0 पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:26:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 32 मे से 0.23 है. भूमि सिवायचक दर्ज कर दी नक्शे मे अलग तरमीम कर खसरा न0 32/657 रकबा 0.23 है. कायम कर दिया । प्रार्थी आवटन के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का अर्से दराज लगभग 57 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी को जब तहसील से धारा 91 के नोटिस आने की ~~जानकारी हुई इसी~~ बिनाय पर वादी आराजी ख0 32/657 रकबा 0.23 है. सिवायचक भूमि को प्रार्थी के हक मे नियमन करने की इश्तदुआ की गई है।

2. यह कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी को तलब किया जाकर जवाब लिया गया । जवाब मे प्रतिवादी द्वारा वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया तथा उपतहसीलदार बादीकुई से रिपोंट ली गई । जिसे भी उप तहसीलदार ने प्रार्थी का ख0न032/657 रकबा 0.23 है0 पर स02067से लगातार कब्जा होना बताया है। कब्जे शुदा भूमि प्रार्थी की खातेदारी के लगती होना बताया है तथा अब्दुल रहमान की रिट के दायरे मे भी प्रकरण का नही आना अंकित किया गया है।

अतः दावा वादी पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया गुणावगुण के अनुसार वादीगण अपना पक्ष आंवटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा तहसीलदार बसवा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रकरण को प्राथमिकता से नियमन हेतु रखा जाकर नियमानुसार आवंटन कमेटी को प्रस्तुत किया जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश आज दिनांक 24.9.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।पत्रावली बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल किया जाता है।

24/7/19

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified

Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:26:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner